# कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
# झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813


पत्रांक : 01/यो0ब0-27/2018- 1181 दिनांक : 18/9/18

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल/ धनबाद वन प्रमण्डल/ रामगढ़ वन प्रमण्डल/ गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल/ हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल/ हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल

**विषय :-** वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली ''सिल्विकल्चर ऑपरेशन'' योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुर्नजनन, जल एवं भू-संरक्षण वृक्षारोपण कार्य हेतु **रू0 1073.192 (दस करोड़ तिहत्तर लाख उन्नीस हजार दो सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

**प्रसंग:-** विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-08/2018-19/स्वी0 व0प0 दिनांक 27.07..2018 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-08/2018-63/आ0 व0प0 दिनांक 02.08.2018।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-40 सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रू0 1073.192 (दस करोड़ तिहत्तर लाख उन्नीस हजार दो सौ रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

| प्राथमिक इकाई | विपत्र कोड | (राशि लाख में) |
|---|---|---|
| मजदूरी | 19S240601789400103 | 688.877 |
| आपूर्ति एवं सामग्री | 19S240601789400323 | 384.315 |
| कुल :- | | **1073.192** |

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के **अनुलग्नक-1** पर वर्णित वन प्रमंडल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी एवं अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय

प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्य दर **अनुलग्नक–2**, स्थल विवरणी **अनुलग्नक–3** पर तथा ऑन–लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–4** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S240601789400103 एवं 19S240601789400323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

5. योजना का कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व संबंधित वन संरक्षक स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत स्थल का घनत्व खुले वन/ सामान्य वनों की श्रेणी में आता हैं एवं स्वीकृत स्थल इस कार्यालय के पत्रांक 641 दिनांक 30.05.2018 द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप है। कार्य करने के पूर्व सभी स्थलों पर Photography/ Videography कारवाई जायेगी, ताकि वनों की वस्तुस्थिति जानी जा सके। अगले वर्ष अप्रैल–मई माह में पुनः Photography/ Videography करवाई जाएगी, ताकि वनों के प्राकृतिक पुर्नजनन विधि के करवाये गए कार्यों से वनों के घनत्व में आए परिवर्तन को देखा जा सके।

इस योजना में gap/enrichment plantation के लिए प्राकृतिक प्रजाति के 200 पौधे प्रति हे0 लगाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। Root-Shoot को स्थाई पौधशालाओं से क्रय कर Tube में तैयार किया जाऐगा या फिर Tube plant को स्थाई पौधशाला से क्रय किया जाऐगा।

6. वन संर्वद्धन कार्य के दौरान खूँटों को Cutback करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि stump को जमीन से 6'' छोडकर एक बार में तेज टांगी/आरी से काटा जाए, ताकि stump फटे नहीं। किसी भी परिस्थिति में काटी हुई stump की trimming नहीं की जाए।

7. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष योजना तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जायेगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन

योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

9. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से उप आवंटन प्राप्त हाने के उपरांत की जाएगी।

10. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

12. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निंर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

15. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं0 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

16. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया

जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0–2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक–3542, दिनांक–19.12.2013 में निरुपित प्रावधानों के अनुरुप किया जायेगा।

**अनुलग्नक :– यथोक्त ।**

विश्वासभाजन,

18/9

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–27/2018–** 1181 दिनांक– 18/9/18

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/ हजारीबाग/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/ गिरिडीह/ हजारीबाग/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक :– यथोक्त ।**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–27/2018–** 1181 दिनांक– 18/9/18

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, बोकारो/ धनबाद/ रामगढ़/ गिरिडीह/ हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक :– यथोक्त ।**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1

# वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यान्वित की जाने वाली सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू–संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हे0 वृक्षारोपण अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि लाख में

| क्र0 सं0 | वन प्रमण्डल का नाम | भौतिक लक्ष्य (हे0) | 2018–19 (अग्रिम कार्य) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | मजदूरी | आपूर्ति एवं साम्रग्री | कुल |
| | | | **23738.00** | **13243.14** | **36981.14** |
| बोकारो रीजन | | | | | |
| 1 | बोकारो वन प्रमण्डल | 500 | 118.690 | 66.216 | 184.906 |
| 2 | धनबाद वन प्रमण्डल | 500 | 118.690 | 66.216 | 184.906 |
| 3 | रामगढ़ वन प्रमण्डल | 400 | 94.952 | 52.972 | 147.924 |
| 4 | गिरीडीह पूर्वी वन प्रमण्डल | 600 | 142.428 | 79.458 | 221.886 |
| | योगः– | **2000** | **474.760** | **264.862** | **739.622** |
| हजारीबाग रीजन | | | | | |
| 1 | हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल | 500 | 118.690 | 66.216 | 184.906 |
| 2 | हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल | 402 | 95.427 | 53.237 | 148.664 |
| | योगः– | **902** | **214.117** | **119.453** | **333.570** |
| | सकल योगः– | **2902** | **688.877** | **384.315** | **1073.192** |

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

## योजना का नाम : सिल्विकल्चरल ऑपरेशन योजना का दर निर्धारण

## (Open Forest (10–40 प्रतिशत घनत्व) with adequate root stock)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रू0 में) : **237.38** 200 पौधा प्रति हे0 वृक्षारोपण सहित

| क्र0 सं0 | कार्य का विवरणी | इकाई | मानव दिवस | मजदूरी (रू0 में) | सामग्री (रू0 में) | कुल व्यय (रू0 में) | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | ii | iii | iv | v | vi | vii | viii |
| **(A)** | वित्तीय वर्ष 2018–19 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 237.38 | | | | | | |
| 1 | सर्वेक्षण एवं सीमांकन | हे0 | 3 | 712.14 | 0.00 | 712.14 | |
| 2 | कटबेक / कॉपसिंग, क्लाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग आदि | हे0 | 15 | 3560.70 | 0.00 | 3560.70 | |
| 3 | न्यूनतम आवश्यकता अनुसार स्वीकृत विभागीय दर पर वन संरक्षक के अनुमोदन से मशीन द्वारा ट्रेंच / पत्थर घेरान अथवा झाड़ी घेरान<br>(i) ट्रेंच घेरान– ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी0, नीचे की चौड़ाई 1.22 मी0, गहराई 1.22 मी0, ड्रेसिंग सहित<br>(ii) पत्थर घेरान– ऊपर की चौड़ाई 0.30 मी0, नीचे की चौड़ाई 1.25 मी, ऊँचाई 1.00 मी0<br>(iii) झाड़ी घेरान | प्रति हे0 औसतन 6 चेन | 12 | 2848.56 | 11782.74 | 14631.30 | प्रति हे0 ट्रेंच घेरान 6 चेन का प्रावधान है किन्तु स्थल पर भुगतान वास्तविक कार्य संपादन के अनुसार किया जायेगा |
| 4 | मृदा कार्य (0.45 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी.) 0.091 क्यू0 मी0 अधिकतम. 200 पीट प्रति हे0 (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित) | हे0 | 20 | 4747.60 | 0.00 | 4747.60 | |
| 5 | मृदा एवं जल संरक्षण कार्य – कंटूर ट्रेंच – अधिकतम 50 कंटूर, साईज 5 मी. X 0.45 मी. X 0.45 मी. का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मीटर से 3 मीटर हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढ़ाल पर 0.15 मीटर हट कर 0.30 मीटर की चौड़ाई में 0.15 मी. गहरा कोड़नी कर रखा जाना। | | 40 | 9495.20 | 500.00 | 9995.20 | अवश्यकतानुसार ढलान पर ही कंटूर ट्रेंच का निर्माण किया जायेगा। कंटुर ट्रेन्च के बर्म पर स्थानीय प्रजाति के बीजों को भी बोया जाएगा। |
| 6 | गली प्लगिंग | हे0 | 6 | 1424.28 | 0.00 | 1424.28 | |
| 7 | स्थाई पौधशालाओं में उपलब्ध (10% अतिरिक्त) 60% Root-Shoot को 6"x12" आकार की ट्यूब में Pre-sprout कराकर पौधा तैयार करना। | 220 | 2 | 474.76 | 960.40 | 1435.16 | स्थायी पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए रू 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी। स्थानीय एवं फलदार प्रजाति के बड़े पौधे को प्राथमिकता दी जायेगी |
| 8 | वनों की सुरक्षा | | 2 | 474.76 | 0.00 | 474.76 | |
| | योग– | | **100** | **23738.00** | **13243.14** | **36981.14** | |

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–3

## वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2021–22 तक कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना" (अनुसूचित जनजातीय के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू–संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हे0 वृक्षारेपण कार्य का स्थल विवरणी

| क्र0 सं0 | वन प्रमंडल का नाम | वन प्रक्षेत्र का नाम | प्रखण्ड का नाम | PF/RF का नाम | स्थल का नाम | थाना / थाना सं0 | जी0पी0एस0 को–ऑडिनेट | प्लॉट नंबर | क्षेत्रफल (हे0 में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | ii | iii | iv | v | vi | vii | viii | ix | x |
| बोकारो रीजन | | | | | | | | | |
| 1 | बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो | बोकारो | नावाडीह | भवानी | | नावाडीह–44 | | | 50 |
| | | बोकारो | नावाडीह | छाटकीकुड़ी | | नावाडीह–43 | | | 50 |
| | | बोकारो | नावाडीह | पलामू | | नावाडीह–23 | | | 50 |
| | | पेटरवार | कसमार | चरगी | | पेटरवार–16 | | | 50 |
| | | पेटरवार | कसमार | डाभाडीह | | कसमार–136 | | | 50 |
| | | बेरमो | नावाडीह | मोचरो | | नावाडीह–37 | | | 50 |
| | | गोमिया | गोमिया | पालू | | गोमिया–55 | | | 50 |
| | | गोमिया | गोमिया | तिरला | | गोमिया–43 | | | 50 |
| | | तेनुघाट | गोमिया | वनचतरो | | गोमिया–96 | | | 50 |
| | | तेनुघाट | गोमिया | पचमो | | गोमिया–27 | | | 50 |
| | | | | | योगः– | | | | **500** |
| 2 | धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद | टुण्डी | | लोचनासार, कमलपुर | टुण्डी / 124<br>कमलपुर / 121 | | | | 50 |
| | | तोपचांची | | बेलमी | तोपचांची / 41 | | | | 50 |
| | | टुण्डी | | बिरंची | टुण्डी / 131 | | | | 50 |
| | | टुण्डी | | पाटकोल | टण्डी / 207 | | | | 50 |
| | | तोपचांची | | बेहचिया | गोविन्दपुर / 01 | | | | 40 |
| | | टुण्डी | | मधुरसा, नीमटांड़ | टुण्डी / 103 | | | | 30 |
| | | टुण्डी | | कोकराद | टुण्डी / 108 | | | | 50 |

| क्र. सं0 | वन प्रमंडल का नाम | वन प्रक्षेत्र का नाम | प्रखण्ड का नाम | PF/RF का नाम | स्थल का नाम | थाना / थाना सं0 | जी0पी0एस0 को–ऑडिनेट | प्लॉट नंबर | क्षेत्रफल (हे0 में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | ii | iii | iv | v | vi | vii | viii | ix | x |
| | | टुण्डी | | लकड़ाखुण्दी | टुण्डी / 122 | | | | 25 |
| | | टुण्डी | | लोघरिया | टुण्डी / 112 | | | | 20 |
| | | तोपचांची | | घोराबन्धा | गोविन्दपुर / 05 | | | | 40 |
| | | धनबाद | | कंजियापहाड़ | निरसा / 39 | | | | 50 |
| | | धनबाद | | रघुनाथपुर | निरसा / 40 | | | | 45 |
| | | | | | योगः– | | | | **500** |
| 3 | रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़ | गोला | गोला | | उपरबरगा | गोला–91 | | | 50 |
| | | गोला | गोला | | बन्दा | गोला–9 | | | 50 |
| | | माण्डू | माण्डू | | लुकईया | माण्डू–32 | | | 35 |
| | | माण्डू | माण्डू | | करगी | माण्डू–68 | | | 50 |
| | | रामगढ़ | रामगढ़ | | तेवरदाग | रामगढ़–158 | | | 30 |
| | | पतरातु | पतरातु | | पालु | रामगढ़–5 | | | 50 |
| | | गोला | गोला | | चोपादारु | गोला–68 | | | 50 |
| | | माण्डू | माण्डू | | चीचीकला | माण्डू–28 | | | 35 |
| | | कुजू | माण्डू | | आरा | माण्डू–156 | | | 50 |
| | | | | | योगः– | | | | **400** |
| 4 | गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह | गावां | गावां | दुधपनिया | गावां–136 | | | | 50 |
| | | गावां | गावां | सिरसिया | गावां–85 | | | | 50 |
| | | गावां | गावां | सेवाढाव | गावां–159 | | | | 50 |
| | | गावां | गावां | मनीमहोडर | गावां–372 | | | | 50 |
| | | गावां | देवरी | नावाडीह | देवरी–141 | | | | 50 |
| | | गावां | गावां | जोड़ासीमर | गावां– 160 | | | | 50 |
| | | गावां | गावां | बरदौनी | गावां–181 | | | | 50 |
| | | गावां | गावां | डुमरझरा | गावां–352 | | | | 50 |
| | | खुरचुट्टा | बेंगाबाद | फौरेस्ट ब्लॉक | बेंगाबाद–92 | | | | 50 |
| | | खुरचुट्टा | गाण्डेय | झितरी | गाण्डेय– 589 | | | | 50 |
| | | डुमरी | डुमरी | राजाभिठा | डुमरी–33 | | | | 50 |

| क्र० सं० | वन प्रमंडल का नाम | वन प्रक्षेत्र का नाम | प्रखण्ड का नाम | PF/RF का नाम | स्थल का नाम | थाना / थाना सं० | जी०पी०एस० को–ऑर्डिनेट | प्लॉट नंबर | क्षेत्रफल (हे० में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | ii | iii | iv | v | vi | vii | viii | ix | x |
| | | पारसनाथ | पीरटांड़ | हरलाडीह / भारतीचलकरी | पीरटांड़– 91 / 90 | | | | 50 |
| | | | | | योगः– | | | | 600 |
| | | | | | बोकारो रीजन का योगः– | | | | 2000 |
| हजारीबाग रीजन | | | | | | | | | |
| 1 | हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग | बगोदर प्रादेशिक प्रक्षेत्र | टाटीझरिया | | धरमपुर | विष्णुगढ़– 154 | $24^0$ 5'20.45"N $85^0$ 39' 24.31"E | 4(p), 5(p), 09,12 | 60 |
| | | दारु प्रादेशिक प्रक्षेत्र | सदर | | चाया | मुफ्फसिल– 211 | | 631,667,671 | 30 |
| | | दारु प्रादेशिक प्रक्षेत्र | सदर | | पौता | मुफ्फसिल– 243 | | 1339 (p) | 50 |
| | | दारु प्रादेशिक प्रक्षेत्र | सदर | | जीतू | मुफ्फसिल– 220 | | 543,776(p) , 795, 796, 797, 798, 800, 801, 802, 803, 804, 805(p) , 782(p) , 799 | 50 |
| | | दारु प्रादेशिक प्रक्षेत्र | सदर | | भंडरवार | दारु– 203 | | 2(p), 19(p), 20(p), 21, 18(p), 46(p), 86 | 50 |
| | | गोमियां प्रादेशिक प्रक्षेत्र | गोमियां | | कर्रीकला | गोमियां– 91 | | 05, 76, 69 | 30 |
| | | गोमियां प्रादेशिक प्रक्षेत्र | गोमियां | | तुसको | गोमियां– 10 | | 3, 63, 548, 557, 559 | 40 |
| | | गोमियां प्रादेशिक प्रक्षेत्र | गोमियां | | चिपरी | गोमियां– 05 | | 3, 9 10, 12(p), 97, 98, 99 | 50 |
| | | गोमियां प्रादेशिक प्रक्षेत्र | गोमियां | | कड़मा | गोमियां – 83 | | 345(p), 460(p), 464, 465, 466 | 50 |

| क्र० सं० | वन प्रमंडल का नाम | वन प्रक्षेत्र का नाम | प्रखण्ड का नाम | PF/RF का नाम | स्थल का नाम | थाना / थाना सं० | जी०पी०एस० को–ऑडिनेट | प्लॉट नंबर | क्षेत्रफल (हे० में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | ii | iii | iv | v | vi | vii | viii | ix | x |
| | | बगोदर प्रादेशिक प्रक्षेत्र | विष्णुगढ़ | | बनासो | विष्णुगढ़– 242 | $23^0$ 58'4.431"N $85^0$ 47'4.78"E | 1297, 1380, 1393(p), 1384, 1383, 2088(p), 3985, 3956(p), 3957(p) | 50 |
| | | बगोदर प्रादेशिक प्रक्षेत्र | सरिया | | बागोडीह | बगोदर– 38 | | 3053, 3116(p) | 40 |
| | | | | | योगः– | | | | 500 |
| 2 | हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग | बरही प्रक्षेत्र | बरही | | बेलादेहार | बरही– 117 | N $24^0$ 15'26.50" E $85^0$ 31' 13.20" | 123,125,126 | 43 |
| | | | बरही | | कदवा | बरही–54 | N $24^0$ 12'51.00" E $85^0$ 23'53.00" | 16 | 75 |
| | | | पदमा | | करमटांड | बरही–53 | N $24^0$ 13'23.00" E $85^0$ 23'40.00" | 1पी0, 145 | 43 |
| | | | बरही | | चंपाडीह | बरही–51 | N $24^0$ 12'23.00" E $85^0$ 24'03.00" | 1, 2, 3 | 50 |
| | | हजारीबाग प्रक्षेत्र | कटकमदाग | | सादमपुर | हजारीबाग– 94 | N $24^0$ 00'20.10" E $85^0$ 15' 32.00" | 972 | 45 |
| | | हजारीबाग प्रक्षेत्र | कटकमदाग | | सिसोई | हजारीबाग– 112 | N $23^0$ 55'03.20" E $85^0$ 17' 17.90" | 175,190 | 46 |
| | | बड़कागांव प्रक्षेत्र | बड़कागांव | | मनातु | बड़कागांव– 3 | N $23^0$ 39'45.39" E $85^0$ 05' 01.86" | 10,11,12,13,14,15,16,17 | 100 |
| | | | | | योगः– | | | | 402 |
| | | | | | हजारीबाग रीजन का योगः– | | | | 902 |
| | | | | | कुल योगः– | | | | 2902 |

# आवंटन आदेश

## झारखंड सरकार

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 मे व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-27/2018/1181 दिनांक - 18-Sep-2

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S 19 240601789400103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>40 -<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>**State Scheme**<br>State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)<br>Centeral Scheme : NA | 56445 | BKRFOR001<br>P.R. NAIDU<br>D F O, BOKARO | 11,869,000.00<br>रुपये एक करोड अठारह लाख उनहत्तर हजार |
| 2 | S 19 240601789400103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>40 -<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>**State Scheme**<br>State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)<br>Centeral Scheme : NA | 56446 | DHNFOR001<br>SRI SOURAV CHANDRA<br>DIVISIONAL FOREST OFFICER | 11,869,000.00<br>रुपये एक करोड अठारह लाख उनहत्तर हजार |
| 3 | S 19 240601789400103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>40 -<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>**State Scheme**<br>State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)<br>Centeral Scheme : NA | 56447 | HZBFOR001<br>DIV. FOREST OFFICER RAMGARH<br>DIV. FOREST OFFICEI | 9,495,200.00<br>रुपये चौरानवे लाख पिनचानवे हजार दो सौ |

योग: 33,233,200.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड बत्तीस लाख तैतीस हजार दो सौ

(SHRI SATNAM SINGH BADHAWAN IFS)
PCCF,DEV,JHARKHAND,RANCHI

 164.100.150.21 Run Date: 18/9/2018

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 4 | S 19 240601789400103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>40 -<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>**State Scheme**<br>State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)<br>Centeral Scheme : NA | 56448 | GRDFOR001<br>KUMAR ASHISH<br>DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. | 14,242,800.00<br>रुपये एक करोड बयालीस लाख बयालीस हजार आठ सौ |
| 5 | S 19 240601789400103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>40 -<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>**State Scheme**<br>State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)<br>Centeral Scheme : NA | 56449 | HZBFWL009<br>SUSHIL SOREN<br>DIV. FOREST OFFICEI EAST | 11,869,000.00<br>रुपये एक करोड अठारह लाख उनहत्तर हजार |
| 6 | S 19 240601789400103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>40 -<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>**State Scheme**<br>State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)<br>Centeral Scheme : NA | 56450 | HZBFWL005<br>RAJIV RANJAN<br>D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB | 9,542,700.00<br>रुपये पिनचानवे लाख बयालीस हजार सात सौ |

योग: 35,654,500.00

क्रमिक योग: 68,887,700.00

रुपये छः करोड अठयासी लाख सित्यासी हजार सात सौ

(SHRI SATNAM SINGH BADHAWAN IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

ख्या - 01/YB-27/2018/1181 दिनांक - 18-Sep-2

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 7 | S 19 240601789400323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>40 -<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>**State Scheme**<br>State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)<br>Centeral Scheme : NA | 56451 | BKRFOR001<br>P.R. NAIDU<br>D F O, BOKARO | 6,621,600.00<br>रुपये छाछठ लाख इक्कीस हजार छः सौ |
| 8 | S 19 240601789400323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>40 -<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>**State Scheme**<br>State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)<br>Centeral Scheme : NA | 56452 | DHNFOR001<br>SRI SOURAV CHANDRA<br>DIVISIONAL FOREST OFFICER | 6,621,600.00<br>रुपये छाछठ लाख इक्कीस हजार छः सौ |
| 9 | S 19 240601789400323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>40 -<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>**State Scheme**<br>State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)<br>Centeral Scheme : NA | 56453 | HZBFOR001<br>DIV. FOREST OFFICER RAMGARH<br>DIV. FOREST OFFICER | 5,297,200.00<br>रुपये बावन लाख सित्तानवे हजार दो सौ |

योग: 18,540,400.00

क्रमिक योग: रुपये आठ करोड चौहत्तर लाख अठाइस हजार एक सौ 87,428,100.00

(SHRI SATNAM SINGH BADHAWAN IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI



Run Date: 18/9/2018

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 10 | S 19 240601789400323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>40 -<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>**State Scheme**<br>State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)<br>Centeral Scheme : NA | 56454 | GRDFOR001<br>KUMAR ASHISH<br>DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. | 7,945,800.00<br>रुपये उन्नासी लाख पैंतालीस हजार आठ सौ |
| 11 | S 19 240601789400323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>40 -<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>**State Scheme**<br>State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)<br>Centeral Scheme : NA | 56455 | HZBFWL009<br>SUSHIL SOREN<br>DIV. FOREST OFFICEI EAST | 6,621,600.00<br>रुपये छाछठ लाख इक्कीस हजार छः सौ |
| 12 | S 19 240601789400323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>40 -<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>**State Scheme**<br>State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)<br>Centeral Scheme : NA | 56456 | HZBFWL005<br>RAJIV RANJAN<br>D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB | 5,323,700.00<br>रुपये तीरपन लाख तेइस हजार सात सौ |

योग: 19,891,100.00

क्रमिक योग: रुपये दस करोड तीहत्तर लाख उन्नीस हजार दो सौ 107,319,200.00

(SHRI SATNAM SINGH BADHAWAN,IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND,RANCHI